न्यायालय अति जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: चन्द्रभान सिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 40/2018
जीसीएमएस नम्बर :: 2018/00064

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगणः–
राज्य सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी), रायपुर		आवंटी भूरा पुत्र सुमेल(फौत) के का.मु.– 1. शिवलाल पुत्र भूरा 2. घनश्याम पुत्र भूरा 3. रामदयाल पुत्र भूरा 4. प्रेम पुत्री भूरा 5. सन्तोष पुत्री भूरा 6. कुकी पत्नी भूरा समस्त जातिगण गुर्जर निवासीगण कपूरडी तहसील रायपुर जिला पाली

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– सरकारी पैरोकार सुरेन्द्र सिंह लबाना
अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री पृथ्वीसिंह।

–:: आदेश ::–

दिनांकः– 17.06.22

तहसीलदार रायपुर द्वारा यह प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया गया है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम कपूरडी पटवार हल्का रायपुर के खसरा नंबर 2080 रकबा 24.12 बीघा भूमी मिसल बन्दोबस्त 2011–30 के अनुसार पूर्व में गैर मुमकिन रास्ता स्थित थी जो वर्तमान जमाबंदी संवत 2069–72 के अनुसार अप्रार्थी भूरा पुत्र सुमेल के नाम राजस्व रेकर्ड में गै0मु0 बाडा दर्ज है। खसरा नम्बर 2080 रकबा 24.12 बीघा किस्म गै.मु. रास्ता मे से रकबा 0.07 बीघा भूमि जरिये 05 रूपये की सनद पर राजस्व विभाग के परिपत्र सख्या एफ 6(17)राज/रा/71 दिनांक 1971 के अनुसरण में दिनांक 26.11.77 को कृषि भिन्न प्रयोजनार्थ अर्थात संग्रह स्थल/बाडा हेतु आवंटन किया गया जिसकी पालना में नामान्तकरण संख्या 1286 के जरिये भूमी की किस्म परिवर्तन कर गैर मुमकिन रास्ता से गै.मु. बाडा दर्ज किया गया। तथा उक्त भूमी अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के पिता भूरा पुत्र सुमेल को दिनांक 26.11.77 को आवंटन कि गई थी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित है, तथा तत्कालीन तहसीलदार के आदेश क्रमांक 615 दिनांक 26.11.2017 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 1286 भरा जाकर भूरा पुत्र सुमेल के खातेदार दर्ज किया गया। उक्त भूमि की किस्म गै.मु. रास्ता होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि है। अतः तत्कालीन तहसीलदार को न तो इस भूमि की किस्म परिवर्तन करने का अधिकार था और न ही इसका आवंटन/नियमन किया जा सकता था। अतः उक्त प्रतिबधित भूमि का आवंटन/नियमन कर दिये जाने से निरस्त योग्य है, जिसे निरस्त फरमाकर जैर प्रार्थना पत्र आराजी को पुनः गै.मु. रास्ता दर्ज कराने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से उनके अधिवक्ता ने वक्त बहस निवेदन किया कि उक्त भूमि वर्तमान में गैर मुमकिन रास्ता नहीं होकर राजस्व रेकर्ड में गै.मु बाडा दर्ज है। अप्रार्थीगण के पिता को यह भूमि कृषि भिन्न प्रयोजन अर्थात संग्रह स्थल/बाडा हेतु आवंटित की गई है। पूर्व में तहसीलदार रायपुर द्वारा आवंटन/नियमन किये जाने से उसके पश्चातवर्ति नामान्तरकरण भरे गये है। वर्तमान में उक्त भूमि पर काश्त हो रही हैं जो गिरदावरी में दर्ज है। उक्त भूमि किसी प्रकार का रास्ता नही है। अतः उक्त रेफरेन्स राजस्व मण्डल को भिजवाये जाने योग्य नहीं होने से खारिज फरमावे।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम कपुरडी पटवार हल्का रायपुर के खसरा नंबर 2080 रकबा 24.12. बीघा भूमि गैर मुमकिन रास्ता स्थित थी जिसमें से खसरा नम्बर 2080/8 रकबा 0.07 बीघा का आवंटन जो वर्तमान जमाबंदी संवत 2011–2030 के अनुसार भुरा पुत्र सुमेल के नाम राजस्व रेकर्ड में गै.मु. बाडा दर्ज है। तत्कालीन तहसीलदार रायपुर के आदेश क्रमांक 615 दिनांक 26.11.77 की पालना में नामान्तकरण संख्या 1286 के जरिये भूमि की किस्म परिवर्तन कर गैर मुमकिन रास्ता से गैर मुमकिन बाडा दर्ज किया गया, जो विधिसम्मत नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत उक्त गै.मु. रास्ता प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि होने से उसकी किस्म गैर मुमकिन रास्ता से गैर मुमकिन बाडा में परिवर्तन कर इसका आवंटन/नियमन किया जाना विधि विरूद्ध था।

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की सेवामें प्रेषित कर निवेदन है कि नामान्तकरण संख्या 1286 जिसके जरिये भूमि की किस्म परिवर्तन कर नियमन/आवंटन की गई उक्त नामान्तरकरण व उसके पश्चातवर्ति सभी नामान्तरकरणो को निरस्त फरमाने के साथ ही भूमि पुनः गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कराने के आदेश प्रदान करावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)